	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 17, मंगलवार, शाके 1944-जून 7, 2022 *Jyaistha 17, Tuesday , Saka 1944- June 7, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रपत्र-एम

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मई 23, 2022

संख्या प. 2 (1) वन/2022 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियां है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वन भूमि या बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियो के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार के लेखबद्ध नही किये गये है ;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि या बंजर भूमि में या उन पर सरकार एवं निजी व्यक्तियो के अधिकारो की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जाँच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चुँकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारो को क्षति पहुचाने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बंदोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारो की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है और ऐसी जाँच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (2) 12,13,14,17,18 एवं 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण मे, राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वन भूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्तियो या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही होगी और न उन पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा।

और अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अग्रेत्तर अनुसरण मे यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से आरक्षित हो जाएगे है और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकड़ी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन

करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेंशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वन भूमि को खंडित किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि/

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बी. प्रवीण,

शासन सचिव,

वन विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं॰	क्षेत्रफल है0	भूमि किस्म
1	देहलोद बी	मलारना डूंगर	सवाई माधोपुर	उत्तर- कास्त भूमि, पूर्व- सीमा ग्राम देवली दक्षिण- सीमा ग्राम देवली पश्चिम- कास्त भूमि,	देहलोद	559	0.06	गै.मु. जंगलात
						562	0.03	गै.मु. जंगलात
						563	1.06	गै.मु. जंगलात
						566	0.09	गै.मु. जंगलात
						567	0.45	गै.मु. जंगलात
						568	0.02	गै.मु. जंगलात
						569	0.25	गै.मु. जंगलात
						572	0.13	गै.मु. जंगलात
						573	0.07	गै.मु. जंगलात
						574	15.58	गै.मु. जंगलात
						576	27.00	गै.मु. जंगलात
						577	1.04	गै.मु. जंगलात
					योग	12 खसरे	45.78 हे0	

(जयराम पाण्डेय)

उप वन संरक्षक

सवाई माधोपुर

द्वितीय अनुसूची
पेडो की सूची

क्र.सं.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Ailanthus excelsa	अरडू
2	Acacia nilotica	देशी बबूल
3	Ficus bengalensis	बरगद/बड
4	Zizyphus mauritiana	बैर
5	Butea monosperma	ढाक/छीला/पलाश
6	Holoptelea integrifolia	चुरैल/पापडी
7	Anogeissus pendula	धोंक काला/धोंकडा
8	Dichrostrochys cinerea	गोयाखैर
9	Balanites aegyptica	हिगोंठ
10	Syzygium cumini	जामुन
11	Tamarux dioca	झाउ
12	Bauhinio racemosa	झींझा/सेंथा
13	Phoenix sylvestris	खजूर
14	Prusopis cineraria	खेजड़ा
15	Acacia senegal	कुमठा
16	Cardio mixa	लिसोडा
17	Azadirachta indico	नीम
18	Stereospermum suaveolens	पडाल/पोडल
19	Salvadora oleoides	पीलू
20	Acacia leucophloeo	रौंझ
21	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
22	Tephrosia purpurea	धमासा
23	Tribulus terrestris	गोखरू
24	Leptodenia pyrotechnica	खींप
25	Urginea indico	कोलीकांदा
26	Calotropis gigantea	देशी आंकडा
27	Asparagus racemosum	सतावरी

(जयराम पाण्डेय)
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर

प्रमाण पत्र

वनखण्ड - देहलोद बी
रेंज - बौंली
वन मंडल - सवाई माधोपुर

1 प्रारूप में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबंदी में राजकीय वन विभाग जंगलात के नाम से दर्ज हैं। इस भूमि पर वन विभाग द्वारा वानिकीय विकास कार्य करवाये गये है तथा यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमलदरामद है।

2 विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि मे प्रथम दृष्ट्या कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नही किये हुए हैं।

3 प्रस्तावित वन क्षेत्रों में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही वन विभाग अधीन है, जिस पर वानिकीय विकास कार्य किये गये है एवं भविष्य में किये जाने की संभावना है।

4 प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.1 तक का है एवं इन क्षेत्रों में मुख्य देशी बबूल, धोंकडा प्रजातियो के पेड़ एवं झाड़ियां है।

5 प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमि वन सीमाओ से प्रथक है एवं इसमें प्रस्तावित वन क्षेत्रो के संरक्षण मे कोई अवरोध नही होगा। विभागाधीन भूमियों का विकास कार्यों में उपयोग हो रहा है।

6 प्रस्तावित भूमियों का मानचित्र संलग्न है।

7 पूर्व में खसरावार भूमि का मौंके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नही होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात् नये प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।

8 इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ।

(जयराम पाण्डेय)
उप वन संरक्षक
सवाई माधोपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।